2.1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में गरूड़ कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

जिला योजना 2011–12 के अन्तर्गत जिला अधिकारी, बागेश्वर के आदेश संख्या 1499/ जिला योजना/ 2011–12 दिनांक 22.10.2011 द्वारा जनपद बागेश्वर में गरूड़–कौसानी मोटर मार्ग से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर मंदिर तक सम्पर्क मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 कि.मी. के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों (यथा सर्वेक्षण, वन भूमि हस्तान्तरण, आदि) के लिए रू0 0.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (शासनादेश की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

सर्वेक्षण उपरान्त विकास खंड, गरूड़ के अन्तर्गत कौसानी–गरूड़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 के कि.मी. 58 है.मी. 2–4 से द्यौराड़ा होते हुए कपलेश्वर तक मोटर मार्ग की वास्तविक लम्बाई 3 कि.मी. आती है। ग्राम द्यौराड़ा एवं रतूड़ा अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े है। मुख्य मोटर मार्ग से खड्ड साईड की ओर स्थित इन ग्रामों में विभिन्न प्रकार के फलों एवं शाक शब्जी का उत्पादन बहुतायत में होता है परन्तु मोटर मार्ग तक आने जाने की सुविधा न होने से कास्तकारों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इस सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से जहां कास्तकारों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा, वही युवकों को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होने से शहरों की ओर पलायन रूकेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम कौसानी जनसंख्या (2626), द्यौराड़ा (110), रतूड़ा (164) एवं अन्य आसपास के 10–12 ग्रामों का शमशानघाट कपलेश्वर के पास कमलेख नदी के किनारे है। इस स्थान तक आने जाने की सुविधा न होने के कारण दाह संस्कार के लिए मृतक के शव को वाहन से 30–40 कि.मी. दूर बागेश्वर ले जाना पड़ता है जिस कारण गरीब परिवारों को भारी व्यय भार पड़ता है। सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार 7 मीटर चौड़ाई रखते हुए भूमि अधिगृहण प्रस्तावित किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना 7 मीटर चौड़ाई में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों के अनुसार की गयी है। मोटर मार्ग निर्माण के समय यथा सम्भव कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। अनुमोदित संरेखण में आरक्षित वन भूमि एवं बांज वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही वन सीमाओं को दर्शाता हुआ 1::50000 पैमाने का इन्डैक्स एवं डिजिटल मानचित्र भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाया गया हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण कौसानी– गरूड़ राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 11 के कि.मी. 58 है0मी0 2–4 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में नाप भूमि एवं सिविल सोयम एवं एक स्थान पर वन पंचायत भूमि आ रही है जिसमें वृक्ष कम प्रभावित होते है और सभी गांव लाभान्वित होते हैं। मानकों के अनुसार ग्रेड मिलता है एवं ग्रामवासी भी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण उक्त मार्ग के कि.मी. 58 है. मी. 6–8 से रखा गया है जिसमें अधिकांश संरेखण में सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि आती है। इसमें बैन्ड आने के कारण अधिक वृक्ष एवं धार्मिक स्थान प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में ग्रामवासी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा **संरेखण नं. 1** को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनिकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 3.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 1.4875 हैक्टेयर वन भूमि गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं 50 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित् किया जा रहा है।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0 बागेश्वर